बीस साल से सूखे की मार झेल रहे सदर्न कैलिफोर्निया में सर्दी के मौसम में हुई भारी बारिश की वजह से जंगलों में इतने ज्यादा मशरूम उगे हैं, जितने 26 साल में पहले कभी नहीं देखे गए। सदी में किसी भी वर्ष हुई बारिश की तुलना में इस वर्ष 600 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। बारिश में जब ठंडी हवा चलती है तो मशरूम बड़ी तादाद में उग सकते हैं। दुनियाभर में मशरूम तोड़ने वाले (मशरूम पिकर्स) जानते हैं, कि भारी बारिश के एक-दो दिन बाद मशरूम बड़ी मात्रा में मिल सकते हैं और कैलिफोर्निया भी इसका अपवाद नहीं है। नैशनल ज्यॉग्राफिक ने बताया कि, स्थानीय लोग, वैज्ञानिक और शोधकर्ता, मशरूमों की दर्जनों ऐसी प्रजातियां एकत्र कर रहे हैं, जिनकी पहले कभी भी पहचान नहीं हुई है। आजकल सेंट एना माउन्टेन्स से लेकर लॉस एंजलिस सिटी पार्क तक मशरूम उगे हुए हैं। पूरे विश्व में मशरूम की 30 लाख से ज्यादा प्रजातियां हैं पर डेढ़ लाख की ही पहचान हुई है। कई प्रजातियां बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं, उन्हें खाया जाता है, वहीं, कुछ प्रजातियां बेहद विषैली होती हैं, इतनी कि, कुछ ही समय में मौत की नींद सुला सकती हैं।

फैडरल रिज़र्व ने फिर बढ़ाई ब्याज दरें

अमेरिका में बैंकों के लिए नीतिगत ब्याज दरों का स्तर 2007 के बाद से आज सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है

वाशिंगटन/नई दिल्ली 23 मार्च (वार्ता) अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति के खिलाफ वर्तमान लड़ाई में ब्याज दर बढ़ाने की रफ्तार कुछ कम करते हुए बुधवार को नीतिगत ब्याज दर में 0. 25 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की।

अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक सहित कुछ बैंकों के दिवालिया होने के बाद बाजार को पहले ही अनुमान था कि फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाने की रफ्तार अब कम करेगा। बाजार मानकर चल रहा था कि फेडरल रिज़र्व की ओपन मार्केट कमेटी की इस बार हद से हद चौथाई प्रतिशत की ही वृद्धि करेगी।

बैंकों में संकट उत्पन्न होने से पहले अनुमान था कि फेडरल रिजर्व ब्याज दर में इस बार भी 0.5 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकता है। ताजा वृद्धि के बाद अमेरिका में नीतिगत बस्तर का दायरा 4.75 प्रतिशत से 5.00 प्रतिशत हो गया है।

वाणिज्यिक बैंकों को लगता है कि इस वर्ष के अंत तक अमेरिका में नीतिगत ब्याज दर अब 5.1 प्रतिशत से 5.25 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने से अमेरिकी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार भाव काफी घट गया है जिससे उनमें निवेश करने वाले बैंकों को बड़ा घाटा उठाना पढ़ रहा है। बहुत से छोटे बैंकों के डूबने का खतरा बन गया है।

फेडरल रिजर्व के बयान में कहा गया है मुद्रास्फीति को शांत करने के लिए नीतिगत ब्याज दर में और वृद्धि की जरूरत पड़ सकती है। बयान में कहा गया है कि फेडरल रिजर्व की खुले बाजार कि समिति आगे आने वाले आंकड़ों को देखेगी और उनका आकलन करेगी कि नीतिगत फैसलों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। समिति को लगता है कि मुद्रास्फीति पर पर्याप्त अंकुश के लिए नीति को कुछ और कड़ा करना पड़ सकता है।

खाचरियावास के कथन

'गहलोत को सैल्फ सैन्टर्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मेरे लिए ही तुम करो, ऐसे कैसे चलेगा?'

- खाचरियावास बोले, जितना इस पार्टी ने गहलोत साहब को दिया है, उतना किसी को नहीं दिया, उन्हें अब भीष्म पितामह की भूमिका में आना चाहिए।
- ''कोई नाराज़ है तो उसे राजी करना मुख्यमंत्री की ड्यूटी, हमारी ड्यूटी थोड़ी है, राज आप कर रहे हो भाई साहब, सत्ता आपके पास है।''
- ''तीसरी बार कोई भी सी.एम. बने, किसी पर भरोसा नहीं करो, जिद्दी हो जाओ, मनमानी करने लगो, कि सब कुछ मैं ही करूँ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, यह नहीं चलता, कभी कोई पार्टी ''मैं'' से नहीं ''हम'' से चलती है।
- तीसरी बार सी.एम. बनकर भैरोंसिंह शेखावत भी जिद्दी हो गए थे, एक अफसर के भरोसे रहे और उसी अफसर ने बेड़ा गर्क कर दिया।
- खाचरियावास ने सचिन पायलट का बचाव करते हुए कहा कि, अब सचिन पायलट के पीछे ही पड़े रहोगे क्या? सचिन पायलट को यूज़ तो करना ही पड़ेगा। सचिन पायलट का भी अपना आधार है। पार्टी के हर नेता का अपना जनाधार है। सबको साथ लेकर काम करना होगा। सचिन पायलट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है।

जयपुर, 23 मार्च (का.प्र.)। खाचरियावास ने अपने ताजा बयान में सचिन पायलट से नाराजगी नहीं होने की बात दोहराते हुए उन्हें जनाधार वाला नेता बताया और मुख्यमंत्री के कामकाज करने के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गहलोत को सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सब कुछ मेरे लिए ही तुम करो, ऐसे कैसे चलेगा ? कुछ तो सामने वाले के लिए करना होता है। आपको स्पेस देना होता है। मैंने कांग्रेस की मीटिंग में एक बार कहा था कि कम से कम चार- पांच नेता तो तैयार करें। पार्टी को वापस सत्ता में लाना है, तो नेता तो तैयार करने ही होंगे। सब कुछ मैं ही हो जाऊं, यह नहीं चलता है।

राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास पिछले कुछ समय से सरकार से नाराज चल रहे हैं और उनके बयान इन दिनों सचिन पायलट खेमे को राहत देते नजर आ रहे हैं। इस नाराजगी का कारण बताया यह जा रहा है कि पहले तो उनसे बड़ा विभाग छीना गया और अब खाद्य विभाग के काम भी बिना उनकी जानकारी के दूसरे विभागों को दिए जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक नियुक्तियां जो खाद्य विभाग में हो रही हैं,उनकी जानकारी भी खाचरियावास को नहीं दी जा रही है।

पिछले दिनों सचिन पायलट के पक्ष में बयान देने के साथ ही अब खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम करने के तौर-तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनावी साल में नाराज नेताओं को मनाने और पावर डिसेंट्रलाइज करने का काम मुख्यमंत्री का है।

अपने ताजा बयान में खाचरियावास ने मुख्यमंत्री पर सवालिया टिप्पणी करते हुए कहा कि गहलोत साहब को किसी से भेदभाव करने का हक नहीं है। जितना इस पार्टी ने गहलोत साहब को दिया है, उतना किसी को नहीं दिया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी से लेकर हर नेता ने गहलोत साहब को पद दिए। कांग्रेस हाईकमान ने उन पर विश्वास करके तीन-तीन बार सीएम बनाया। अब उन्हें एक-एक व्यक्ति का दिल जीतने के लिए काम करना चाहिए। खाद्य मंत्री खाचरियावास ने कहा कि गहलोत साहब को अब भीष्म पितामह की भूमिका में आना चाहिए। पूरे राजस्थान में नए-नए लोगों को जोड़ना चाहिए। कोई नाराज़ है तो उसे राजी करना मुख्यमंत्री की ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी थोड़ी है। राज आप कर रहे हो भाई साहब, सत्ता आपके पास है। आखिरी सांस तक तो राजनीति हम भी करेंगे। तो क्या अब बच्चों से लड़ेंगे, यह क्या अच्छा लगता है ?

खाचरियावास ने कहा कि गहलोत साहब अच्छे नेता हैं। उनकी हजार अच्छाई होंगी, लेकिन आदमी को सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सब कुछ मेरे लिए ही तुम करो, ऐसे कैसे चलेगा? चाहे कोई हो आपको दूसरों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को यह थोड़ी करना चाहिए यह अफसर मेरा है, यह मंत्री मेरा है। जब लड़ाई चली तो सब विधायकों ने गहलोत साहब का साथ दिया था।

भैरो सिंह शेखावत का उदाहरण देते हुए खाचरियावास ने कहा कि वे मेरे बड़े पापा थे। वे जब तीसरी बार सीएम बने थे तो उनकी आदत भी सेट हो गई थी कि फलां अफसर अच्छा है। ये रास्ते अच्छे हैं। यह शहर अच्छा है। उनकी चॉइस सेट हो गई। वे जिद्दी हो गए थे। वे उस समय केवल एक अफसर के भरोसे रहे और उसी अफसर ने बेड़ा गर्क कर दिया। भैरोसिंह शेखावत जैसे बड़े नेता से जनता को बहुत उम्मीदें थीं। खाचरियावास ने कहा कि तीसरी बार कोई भी सीएम बने, आप किसी पर भरोसा नहीं करो। जिद्दी हो जाओ। मनमानी करने लगो, कि सब कुछ मैं ही करूं। मैं ही हूं जो कुछ हूं, यह नहीं चलता। कभी कोई पार्टी मैं से नहीं चलती। हम से चलती है। किसी नेता को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति के भरोसे सत्ता नहीं आती है। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि केवल अकेले के दम पर राज आता है। पूरी टीम मिलकर काम करती है और सामूहिक लीडरशिप में काम होता है। 200 विधानसभा सीटों पर मैदान में आपके पॉपुलर लोग निकलते हैं, तब जीत मिलती है। किसी एक नेता के भरोसे ही पार्टी थोड़ी चलती है ?

खाचरियावास ने सचिन पायलट का बचाव करते हुए कहा कि अब सचिन पायलट के पीछे ही पड़े रहोगे क्या ? सचिन पायलट को यूज़ तो करना ही पड़ेगा। सचिन पायलट का भी अपना आधार है। पार्टी के हर नेता का अपना जनाधार है। उन्हें सबको साथ लेकर काम करना होगा। सचिन पायलट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष में रहते हुए सचिन पायलट और हम दोनों लगातार लड़े थे। हम दोनों ने आंदोलन किए थे। पायलट साहब प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं जयपुर का अध्यक्ष था। मैं न गहलोत खेमे में हूं, न पायलट खेमे में हूं। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मैं अपनी बात तो कहूंगा। हमारी पार्टी में बात रखने का हक सबको है। मैं पहले भी बात रखता आया हूं।

उल्लेखनीय है कि खाचरियावास ने सचिन पायलट के उस बयान का समर्थन किया था, जिसमें उन्होंने विधायक दल की बैठक नहीं बुलाने पर सवाल उठाए थे।

'किराए पर ली गई सम्पत्ति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रावधान साफ तौर पर नहीं रखा गया हो।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया तथा संजय कुमार की बैंच ने कहा, ''1947 के अधिनियम के लागू हो जाने के बाद, यह कानून सम्मत नहीं है कि कोई किरायेदार, उसे किराये पर दिये गये परिसर को सबलैट कर सके, किसी को सौंप सके या अपने हित में किसी भी तरीके से उसे हस्तान्तरित कर सके।''

इस मामले में, किरायेदार से उसे किराये पर दिये गये परिसर के कब्जे को वापस पाने के लिये याचिका दायर की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था कि अपीलार्थी परिसर को खाली कराने के हकदार हैं। पुणे के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने भी इस निर्णय की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद, उच्च न्यायालय होता हुआ, यह केस सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच गया था।

अपील को स्वीकार करते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने दिवंगत के कानूनी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे संबंधित परिसर को खाली कर दें तथा दो माह के अंदर अपीलार्थी को सौंप दें। किरायेदार से किराये पर दिये गये परिसर के कब्जे की वापसी के लिये जनार्दन सुबाजीराव के खिलाफ युवराज उर्फ जगदले ने अपील दायर की थी।

अदालत के समक्ष एक्ट के तहत, परिसर को खाली कराने का आधार प्रस्तुत समय, मुख्य प्रश्न यह था कि क्या किरायेदार ने लीज़ की शर्त का उल्लंघन करते हुये, किराये के परिसर में चल रहे अपने बिज़नैस को स्थानान्तरित किया था।

सूरत से लौट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मनु सिंघवी से राहुल के आवास पर मुलाकात कर आगे की कानूनी रणनीति पर चर्चा की।

विधि विशेषज्ञ कहते हैं कि आधारभूत बात यह है कि यदि राहुल गांधी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उन्हें दो साल की जेल की सजा भुगतनी होगी।

जाने माने सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि राहुल अपनी दोष सिद्धि के बाद तब तक संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते, जब कि वह स्पीकर से इस संबंध में अपील नहीं करते हैं क्योंकि स्पीकर के पास उन्हें संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति देने की पावर है।

लोकसभा में आज शाम जब सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर बहस हो रही थी और स्पीकर ने बहस को समाप्त मान लिया था, राहुल गांधी तब सदन की कार्यवाही में उपस्थित नहीं थे।

सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि अडानी प्रकरण में जे.पी.सी. के गठन की मांग को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के सदस्यों के बीच गतिरोध था। कल वित्त विधेयक पेश किया जाएगा और इसका भी बिना किसी बहस या चर्चा के पारित होना तय है।

शरद पवार के दिल्ली आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई

- बैठक में कांग्रेस, सपा व माकपा सहित कई दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया।

नई दिल्ली, 23 मार्च। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मशीन के मुद्दे पर तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी।

शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, वाम नेता डी राजा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, एनसीपी सांसद प्रभुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले समेत कई नेता उपस्थित रहे।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि रिमोट ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस समय लगभग सभी ने रिमोट ई.वी.एम. के माध्यम से चुनाव कराने पर असहमति जताई थी।

वे डेमो देना चाहते थे, लेकिन वह भी ठुकरा दिया गया। ई.वी.एम. को लेकर देश में शंका है।

क्या खड़गे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज करायेगी भाजपा?

खड़गे ने टिप्पणी की है कि, सूरत की अदालत के जज बार-बार बदले गये, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ यह फैसला आना पहले से अपेक्षित था

- खड़गे की टिप्पणी पर पूर्व केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, आखिर खड़गे क्या कहना चाहते हैं। क्या वे अदालत को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। क्या उनकी टिप्पणी अदालत की अवमानना नहीं है।

नयी दिल्ली 23 मार्च (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुजरात में सूरत की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाये जाने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे के बयान की तीखी आलोचना करते हुए आज सवाल किया कि क्या कांग्रेस अदालतों को जेब में रखना चाहती है।

सूरत के सत्र न्यायालय द्वारा गांधी के मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी को लेकर दायर एक मानहानि के मामले में गांधी को आज दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी है। इस पर खडगे ने टिप्पणी की थी कि सूरत के इस न्यायालय में बार बार न्यायाधीश को बदला गया और इसलिए ऐसा फैसला पहले से ही अपेक्षित था।

इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आखिर खडगे क्या कहना चाहते हैं। क्या वह अदालत को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। क्या उनकी टिप्पणी अदालत की अवमानना नही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे की टिप्पणी बेहद आश्चर्यजनक लगती है, जब वे कहते हैं कि इस मामले में अदालत के न्यायधीश बार बार बदले गए। इसका सीधा अर्थ है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे को देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी भरोसा नही है। क्या कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका को भी जेब में रखना चाहती है? खडगे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अत: उन्हें जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। खडगे जी द्वारा बार बार न्यायधीश बदलने वाला बयान देना अदालत की अवमानना है।

प्रसाद ने कहा कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा दी है। कांग्रेस के नेतागण इस मामले में बातें तो बहुत कर रहे हैं, किन्तु वे ये नही बता रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा था, जिसके कारण उन पर मानहानी का मुकदमा चला। उन्होंने कहा, दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गांधी ने कर्नाटक में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? आखिर गाँधी के इस वक्तव्य का तात्पर्य क्या था? 'मोदी' उपनाम जाति सूचक शब्द है, 'मोदी' उपनाम वाले कई लोग खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, प्रोफेशनल, कारोबारी इत्यादि हैं। राहुल गांधी ने 'मोदी' उपनाम पर ऐसी बात कही तो क्या उन पर कानूनी कार्रवाई नही होनी चाहिए ?'

भाजपा नेता ने कहा कि यदि राहुल गांधी किसी खास उपनाम से जुड़े लोगों को इस तरह सार्वजनिक तौर पर अपमानित करेंगे कि जिसका उपनाम मोदी होता है वह चोर होता है, तो मानहानि का मामला बिलकुल बनता है। इस मामले में सूरत अदालत में बाकायदा सुनवाई हुई और राहुल गांधी को भी अपना पक्ष रखने का भरपूर समुचित अवसर दिया गया।

उन्होंने कहा कि अदालत में पूरी सुनवाई के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सजा सुनाई गयी है। दूसरी ओर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भी उपनाम मामले को लेकर पटना में गांधी के खिलाफ एक मामला दर्ज कर रखा है। उस मामले में भी राहुल गांधी जमानत पर हैं।

प्रसाद ने कहा कि यदि राहुल गाँधी सोचते हैं कि किसी को भी गाली देने और अपमानित करने का उन्हें अधिकार है, तो उनके अपशब्दों से पीड़ित व्यक्ति को भी मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है।

अब मणिपुर में भूकम्प के झटके

- रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। तीव्रता कम होने के कारण किसी प्रकार से जानमाल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा।

नई दिल्ली, 23 मार्च। मणिपुर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ये जानकारी दी है। ये भूकंप आज शाम 6.51 बजे आया है। खबर लिखे जाने तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की बात सामने नही आई है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई थी। इस भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत कई हिस्सों में महसूस किए गए थे।

हर साल दुनिया में करीब 20 हजार भूकंप आते हैं लेकिन उनकी तीव्रता इतनी ज्यादा नही होती कि लोगों को भारी नुकसान हो। नेशनल अर्थक्वेक इंफोर्मेशन सेंटर इन भूकंप को रिकॉर्ड करता है।

सूरत के कोर्ट ने दो साल की जेल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिये डिसक्वालिफाइड होने का खतरा है।

अगर कोई उच्चतर अदालत इस सजा पर स्टे नहीं देती है तो ऐसी स्थिति सामने आ सकती है।

अगर कोई उच्चतर अदालत इस फैसले को रद्द नहीं करती है तो राहुल गांधी अगले आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

गांधी की टीम के अनुसार, कांग्रेस नेता की योजना इस फैसले को किसी उच्चतर अदालत में चुनौती देने की है।

अगर उस उच्चतर अदालत में इस सजा को स्थगित रखने तथा इस आदेश को फ्रीज करने की अपील स्वीकार नहीं होती है तो उन्हे सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि हालाँकि गांधी को जमानत दे दी गई तथा उनकी सजा 30 के लिये स्थगित कर दी गई, ताकि वे इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकें, लेकिन अदालत के इस फैसले के फलस्तरूप, संसद-सदस्य के रूप में उनके डिसक्वालिफिकेशन का खतरा बना हुआ है।

रिप्रज़ैन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, 1951 की धारा 8(3) कहती है कि जैसे ही किसी अदालत में किसी सांसद का दोष सिद्ध हो जाता है तथा उसे कम से कम दो वर्ष की सजा हो जाती है तो उसे डिसक्वालिपाई किया जा सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, सूरत की अदालत के फैसले के आधार पर, लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से डिसक्वालिफाई कर सकता है तथा वायनाड सीट को खाली घोषित कर सकता है।

उस स्थिति में चुनाव आयोग उस सीट के लिये विशेष चुनाव करायेगा।

आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हुई दो साल की जेल पर ज्यादातर विपक्षी दल एकदम खामोशी धारण किये हुये हैं। इसकी निंदा करने वालों में अब तक केवल अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस के गठबंधन साथी राष्ट्रीय जनता दल एवं तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक ही शामिल हैं। कांग्रेस के अन्य गठबंधन साथी शरद पवार की नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तथा उद्धव ठाकरे के सेना गुट की टिप्पणी भी अभी तक नहीं आई है।

अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसके कांग्रेस के साथ सुखद संबंध नहीं है, ने गांधी के समर्थन में सबसे पहली टिप्पणी की थी।

केजरीवाल ने हिन्दी में ट्वीट किया था, ''गैर-भाजपा नेताओं तथा दलों पर मुकदमे चलाकर, उन्हें राह से हटाने की साजिश रची जा रही है।

कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह के मानहानि केस में फँसाना ठीक नहीं है। .... प्रश्न पूछना जनता तथा विपक्ष का काम है। हम अदालत का सम्मान करते हैं लेकिन इस फैसले से असहमत हैं।''

शाम होते-होते, आर.जे.डी. के तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, ''विपक्षी नेताओं पर ई.डी., आई.टी., सी.बी.आई. के छापे पड़वाइये और उनसे भी काम न चले तो घृणित साजिश के तहत उनके खिलाफ अलग-अलग शहरों में निराधार केस दर्ज कराइये ताकि हैडलाइन मैनेजमैंट में कोई कसर बाकी न रह जाये। यह संविधान, लोकतंत्र, राजनीति तथा देश के लिये घोर चिन्ता का विषय है।''

द्रमुक के टी.आर. बालू ने कहा कि इस फैसले से यह साफ हो गया है कि ''अभिव्यक्ति की आज़ादी संकट में है।'' पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी हमारे गठबंधन पार्टनर हैं तथा उन्होंने किसी समुदाय विशेष पर हमला नहीं बोला है।

राजनैतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर लगातार हमले बोलते आ रहे हैं, को फँसाने के लिये लम्बे समय से प्रयास चल रहे थे तथा इस प्रकार की सजा अपेक्षित ही थी।

अब, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राहुल गांधी को दी गई इस सजा से उनके तथा कांग्रेस के लिये सहानुभूति पैदा होगी या नहीं, यह तो भविष्य बतायेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्यत: लोगों में सहानुभूति पैदा होने लगी है लेकिन उस स्थिति में, भाजपा तथा आर.एस.एस. ने भी ध्यान में रखा ही होगा।

आज हो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले, शुक्रवार को राज्यसभा में सम्पन्न की जा सकती है।

दोनों पक्षों की ओर शोर-शराबा होते रहने के कारण लोकसभा सुबह ही अपरान्ह 2 बजे तक के लिये तथा उसके बाद शाम 6 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई थी। उसी समय, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आनन-फानन में बजट संबंध औपचारिकताएं पूरी कीं। राज्यसभा भी पहले तो अपरान्ह 2 बजे तक तथा उसके बाद पूरे दिन के लिये स्थगित कर दी गई थी।

सरकार लम्बे तक सत्र को चलाना नहीं चाहती क्योंकि विपक्ष अडानी-प्रकरण की जाँच जॉइन्ट पार्लियामैंट्री कमेटी (जे.पी.सी.) से कराये जाने के पूरी तरह कमर कसे हुये है।

सत्तारूढ़ भाजपा ने कांग्रेस द्वारा जाँच के कलिये की जा रही नारेबाजी के जवाब में, इस माँग पर नारेबाजी करना शुरु कर दिया कि राहुल गांधी अपने लंदन वाले भाषण में भारतीय लोकतंत्र पर की गई टिप्पणी पर माफी माँगें। राहुल ने इसका जवाब देने के लिये स्पीकर को पत्र लिखकर समय माँगा था, क्योंकि उनके अनुसार, उन्होंने कहीं भी भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिये बाहर के देशों को आमंत्रित नहीं किया है, जैसा कि भाजपा नेता 13 मार्च से उन पर बार-बार आरोप लगाते आ रहे हैं।

भाजपा मुसलमानों के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन पर प्रकट रूप से मरहम लगाने का प्रयास कर रहा है।

भाजपा अप्रैल माह की शुरूआत से उत्तर प्रदेश में ''स्नेह मिलन'' नामक मीटिंग्स भी आयोजित करेगी, जिसकी टैगलाइन होगी: एक देश-एक डी.एन.ए.।''

बताया जाता है कि विपक्षी समाजवादी पार्टी के मुख्य समर्थक मुस्लिम और यादवों के कुछ वर्गों का क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति से मोहभंग हो गया है। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में मुस्लिमों ने सपा को अपना पूर्ण समर्थन दिया था, लेकिन अखिलेश यादव भाजपा को बड़ी चुनौती नहीं दे पाए। बताया जाता है कि, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल में सपा समर्थकों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर उनका उत्पीड़न किया जाता रहा है। विपक्षी पार्टियों की कमजोर एवं भ्रामक स्थिति के मद्देनजर भाजपा ने मुस्लिम वोटरर्स के कम से कम एक वर्ग, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन प्राप्त करने को लेकर अवसरों को भुनाना शुरु कर दिया है। यदि इस प्रकार के उद्देश्यों को नहीं भी प्राप्त किया जा सके तो भी भाजपा मुस्लिम वोटों में विभाजन और विपक्ष की किसी एक पार्टी के पक्ष में उनके एक मुश्त वोट ना पड़ने की उम्मीद करेगी। इस प्रकार का परिदृश्य प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार अपनी सरकार का गठन करने में मदद करेगा।

मुस्लिम राजनीति को लेकर भाजपा की नई सोच को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समर्थन प्राप्त है और उसका लक्ष्य यह संदेश देना है कि यदि मुस्लिम समुदाय के चरमपंथी तत्वों को नियंत्रित कर लिया जाए तो मुस्लिमों को समान लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के ''मन की बात'' कार्यक्रम के बारह एपिसोड्स का एक पुस्तक के प्रारूप में संकलन किया जा रहा है और उम्मीद है कि आगामी रमज़ान में इसकी प्रिंटिंग करवा ली जाएगी। पुस्तक में दारूल उलूम, देवबंद इस्लामी संस्थानों के प्रमुखों के शुभकामना संदेश भी होंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली ने कहा कि ''कई बार ऐसा होता है कि मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री के ''मन की बात'' कार्यक्रम को सुनने में असमर्थ रहता है। इस कार्यक्रम में प्राय: समाज की बेहतरी के लिए एक गुप्त एवं गहरा संदेश होता है।''

'सूरत कोर्ट का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खारिज कर दिया जाएगा।

राहुल का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ''जिस भाषण का जिक्र किया जा रहा है उसकी नकल के अनुसार, यह कीमत वृद्धि और बेरोज़गारी के संदर्भ में दिया गया था। यह एक राजनीतिक भाषण था, जो कर्नाटक के कोलार में दिया गया था और पूर्णतया सार्वजनिक हित के मुद्दों को लेकर था।''

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908